पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 28, अंक 266 दिसम्बर 2025

शत-शत नमन

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

आश्वस्त

वर्ष : 28 अंक 266
दिसम्बर 2025

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/09510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2	POSH Act - Saviour of women at workplace	Ms. Sanghmitra Parihar, Research Scholar; Mrs. Priyansha Singh Dixit, Research Scholar	04
3	माध्यमिक स्कूल के छात्रों में व्यक्तिव विकास और कौशल का महत्व	Neshat Zohra, Research Scholar; Dr. Nitumaan (Asst. Prof.)	07
4	MGNREGA'S Impact on Employment Generation for Scheduled Castes in Himachal Pradesh	Gurmel Singh, Asst. Professor	10
5	बैंकिंग ऋण व्यवस्था : हिंदी की भूमिका	डॉ. मृगेन्द्र राय, प्रोफेसर; रामलाल साँगवा, शोधार्थी	17
6	Legal Protection of War Victims in International and Non-International armed hostilities : An Analysis	Dipika Badhan, Asst. Professor; Dr. Rupam Jagota, Professor	21
7	दलित कहानी में जाति व्यवस्था	दीपक कुमार, शोधार्थी; शोध निर्देशक- डॉ. अनिल कुमार, सहायक प्रोफेसर	24

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जीवन पर्यन्त संघर्षशील रहने वाले उस व्यक्ति का नाम है जिनका जीवन समाज के तिरस्कृत–उपेक्षित तथा दलित लोगों को जागरुक बनाकर उनके अधिकारों की लड़ाई के नाम समर्पित रहा। यदि एक वाक्य में कहें तो ''उनका संघर्ष अस्तित्व तथा मानवाधिकारों के लिये था।'' डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तित्व लोकप्रिय तथा विद्वान वकील, विधिवेत्ता, विचारक–लेखक, पत्रकार, मानवतावादी एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति के गुणों से समाहित था, लेकिन उनका यह बहुमुखी व्यक्तित्व कदम–कदम पर संघर्षशील रहने के बाद बना था–अतः उनके विचारों तथा व्यवहार में दृढ़ता तथा कठोरता स्पष्ट दिखाई देती है। डॉ. अम्बेडकर का जन्म ऐसे समय पर हुआ था जब बीसवीं शताब्दी के पुर्नजागरणकाल के दौरान एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व की सर्वाधिक जरुरत भी थी। वे समाज के सुसंस्कृत वर्ग में अपने मौलिक चिंतन के कारण लोकप्रिय हुए।

अपनी ही साधना और तपस्या के बल पर व्यक्तित्व निर्माण के जितने भी उदाहरण दुनिया में है उनमें निश्चय ही डॉ. अम्बेडकर का उदाहरण अद्वितीय है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी कई शताब्दियों में हुआ करते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने कभी कहा था कि –''सही और गलत की पहचान करनेवाले जितने अधिक होंगे, उन्नति उतनी त्वरित होगी।'' उनका विश्वास था कि असहायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाले संसाधनों में 'शिक्षा' सर्वश्रेष्ठ साधन है। उनका सबसे अधिक जोर शिक्षा के विस्तार पर रहा। संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी उद्देश्य का प्रतिफल है। जब हम बाबा साहेब के जीवन–संघर्ष पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि उनका सारा जीवन मानवाधिकारों के प्रति समर्पित और चिंतन पूर्णतः मानवीय मूल्यों पर आधारित रहा। दलित–वंचित–शोषित वर्ग को उनके अधिकार दिलाना उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। इसके लिये वे बराबर संघर्ष करते रहे। अंततः विजय उनकी हुई और वे उसे कानूनी रूप देने में सफल भी हुए। दलित वर्ग उनको अपना मसीहा मानता है। संविधान उनकी साधना का प्रतीक है। एक अप्रतिम योगदान के लिये देश उनको सदैव नमन करेगा। निश्चय ही बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के समता और समानता के संदेश पर देश का लोकतंत्र फलता–फूलता रहेगा। भारतीय संविधान विश्व के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। डॉ. अम्बेडकर ने सबके लिये एक अनिवार्य विधि और विधान दिया है। देश व समाज की चहुंमुखी प्रगति व विकास के लिए उनकी रक्षा करना सबका प्रथम धर्म व कर्तव्य बन गया है। उन्होंने किसी को दुखाया नहीं बल्कि सबको बेहतर ढंग से जीने का मार्ग दिखाया। इसी विधि और विधान पर देश–प्रदेश में बहुआयामी प्रगति एवं विकास आज दिखाई दे रहा है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की क्रांति विश्व की महान क्रांति है जिसने (1920 से 1956) 36 वर्षों में 3600 वर्ष की धर्मशास्त्रों द्वारा जाति व्यवस्था पर आधारित ना केवल आर्थिक बल्कि चौतरफा गुलामी जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक, राजनीतिक भौतिक सभी गुलामियों को पूर्ण अहिंसक तरीके से आधारहीन कर दिया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबासाहेब ने इस आंदोलन को अकेले ही चलाया। उनके आंदोलन की दो महान ऐतिहासिक उपलब्धियां है–पहली संविधान और दूसरी–धम्म।

मानव अधिकार की देश व दुनिया में बहुत चर्चा होती है। मानव अधिकार का आंदोलन बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने 1927 में शुरू किया जिसमें ''महाड़ जल–सत्याग्रह'' और ''कालाराम मंदिर–प्रवेश का आन्दोलन प्रमुख हैं। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के पांच लक्ष्य हैं –

पहला–भारत के लोगों के लिये समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय के सिद्धांतों को अर्थपूर्ण बनाने के लिये संवैधानिक अधिकार व उनकी सुरक्षा प्राप्त करना।

दूसरा–समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय पर आधारित आदर्श समाज के लिये जाति व्यवस्था को समाप्त करना ।

तीसरा–आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु जाति व वर्ग आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करना। लोग राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, बाबासाहेब आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं।

चौथा–शासनकर्ता जमात बनाना।

पाँचवाँ–प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना।

विश्वरत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व, मानवता के महान नायक को उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि–कोटि नमन...जय भीम।

– डॉ. तारा परमार

POSH ACT - SAVIOUR OF WOMEN AT WORKPLACE

- Ms. Sanghmitra Parihar
Research Scholar

- Mrs. Priyansha Singh Dixit
Research Scholar

Abstract - Workplace sexual harassment is a pervasive issue that undermines organizational productivity, employee well- being, and the fundamental rights of women to equality and dignity. This paper analyses the impact of the POSH Act (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) on workplace culture and its role in advancing gender equality. It highlights the key provisions of the POSH Act including the establishment of Internal Complaints Committee (ICC) (now Internal Committee (IC) after 2016 amendment), meaning of sexual harassment, and the procedures for complaint resolution and redressal. The paper further discusses the challenges in its implementation, and its overall effectiveness in preventing sexual harassment at workplace.

Keywords - Sexual Harassment, POSH, Local Committee, Workplace, Conciliation.

Introduction

Workplace Harassment is a kind of gender discrimination that violates a woman's fundamental right to equality and the right to life, protected by Articles 14, 15, and 21 of the Indian Constitution. The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adopted by the UN General Assembly in 1979, is an international legal instrument that India ratified. It calls for equality between women and men regarding human rights and fundamental freedoms and requires countries to eliminate discrimination against women in all areas. Sexual harassment in the workplace creates an uneasy and unfriendly environment for women, which not only hinders work performance but also negatively affects social and economic growth, and causes physical and emotional distress. It also infringes the fundamental rights of women provided under Article 19(1)(g) of the Indian Constitution, guaranteeing freedom to practice any profession, etc. In Vishakha v. State of Rajasthan (1997), the Indian Supreme Court provided legally binding guidelines, which included a definition of sexual harassment, provisions of the redress

mechanism and accountability of institutions. Consistent with the Vishakha Judgment, the POSH Act, 2013 was encted in India, which mendates all the work places in India to ensure a safe and equitable work environment for women free from sexual harassment and provides a robust framework for addressing workplace sexual harassment.

Key Provisions of the Act - The POSH Act was put into effect on December 9, 2015, following the publication of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Rules, 2013. Its preamble underscores its aim to protect women from sexual harassment and provide mechanism for redressal. The Act is divided into 8 Chapters and consist of 30 Sections. Section 2(a) of the Act defines aggrieved woman in the context of both workplace and dwelling place or house. It includes women working or visiting any workplace in the capacity of temporary, regular, ad-hoc, or daily wages. Section 2 further defines employer, employee, domestic worker, workplace and sexual harassment and highlights essential elements of workplace sexual harassment. Section 2(n) provides that sexual harassment includes unwelcome acts or behavior namely physical contact and advances; or a demand or request for sexual favours; or making sexually coloured remarks; or showing pornography; or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Section 4 of the Act says that every employer of a workplace should constitute the Internal Complaints Committee (IC). Section 6 deals with the Local Committee (LC), formed by the district officer of the concerned district to receive sexual harassment complaints from establishments where the IC has not been constituted due to having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.

Section 9 allows an aggrieved woman or a prescribed person to file a written complaint of workplace sexual harassment with the IC or LC within three months of the incident or the date of the last incident in case of a series. The IC or LC may extend this period by up to three additional months if satisfied, with reasons recorded in writing.

Section 10 enables taking steps for Conciliation by the IC or LC at the request of the aggrieved woman before initiating an inquiry to settle the matter between her and the respondent. If a

settlement is arrived through conciliation, no further inquiry can be conducted.

As per Section 11, the IC or LC must inquire into the complaint or, for domestic workers the LC shall forward it to the police within seven days if a prima facie case exists.

If the respondent fails to comply with the settlement, the IC may, on being informed by the aggrieved woman, conduct an inquiry or forward the complaint to the police. Section 11(2) provides that, if the respondent is convicted, the court may order compensation to the aggrieved woman per Section 15.

During the pendency of inquiry and on written request made by the aggrieved woman, the IC or LC may recommend to the employer to (a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or (b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months; or (c) grant such other relief to the aggrieved woman a may be prescribed as per Section 12(1). Section 13 mandates that upon completing an inquiry, the IC or LC must submit its findings to the employer or District Officer within ten days and provide the report to the concerned parties. Further, if the IC or LC finds the allegations unproven, it shall recommend no action. If proven, it shall recommend the employer or District Officer (i) to take action for sexual harassment as a misconduct; (ii) to deduct, from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs.

Section 18 enables any person aggrieved from the recommendations made under sections 13(2), 13(3), 14(1), 14(2), or 17 or from non-implementation of such recommendations to appeal to the court or tribunal within a period of ninety days of the recommendations.

The case of Anjali Bhardwaj v. Union of India, highlighted sexual harassment issues in government departments, and the Apex Court held that all government departments must set up ICs to address complaints of sexual harassment. Aureliano Fernandes v. State of Goa and Others, the Supreme Court observed that even after a decade of the POSH Act being formulated, its implementation and

enforcement is still inadequate and issued various directions for the effective implementation of the POSH Act.

Conclusion - The POSH Act is a step towards reshaping workplace culture by promoting inclusivity and gender equality. However, lack of awareness, inadequate training, and reluctance to report incidents due to stigma or fear of retaliation are some of the causes of its ineffective implementation. Addressing these gaps requires a proactive approach involving consistent awareness programs, dedicated training initiatives, and the establishment of trust in reporting mechanisms. The fear of misuse by false complaints looms at the helm potentially undermining the credibility of genuine cases and creating apprehension among employers about enforcing the Act. Balancing the rights of the aggrieved with safeguards against frivolous or malicious complaints is essential to maintain trust in the system and ensure fair outcomes for all parties involved.

- Ms. Sanghmitra Parihar
Research Scholar,
NLIU, Bhopal (M.P.)
- Mrs. Priyansha Singh Dixit
Research Scholar,
Department of Law, B.U. Bhopal (M.P.)

References :

1. Dr M Punitha, Internal Complaint Committee at CLTRI, Chengalpattu.
2. amit@apnlive.com, The POSH Push, in Private, INDIA LEGAL (Dec. 14, 2024), https://india legallive.com/magazine/sexual-harassment-prevention-private-sector-icc-members-protection/.
3. Vishakha v. State of Rajasthan(1997), AIR 1997 SC 3011.
4. Anjali Bhardwaj v. Union of India, AIRONLINE 2019 SC 533.
5. Aureliano Fernandes v. State of Goa and Others, [2023] 7 S.C.R. 772.

माध्यमिक स्कूल के छात्रों में व्यक्तित्व विकास और कौशल का महत्व

- Neshat Zohra
Research Scholar
- Dr. Nitumaan
Assistant Professor

सारांश

व्यक्तित्व विकास और कौशल वह व्यापक क्षमता है जिसमें आत्म–क्षमता, जीवन कौशल, सामाजिक दक्षता और शैक्षिक दक्षता शामिल होती है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और भविष्य के जीवन परिणामों को भी प्रभावित करती है। माध्यमिक स्तर किशोरावस्था का चरण है, जहाँ विद्यार्थियों को आत्म–पहचान, आत्म–नियंत्रण और सामाजिक भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना होता है। भारतीय अध्ययनों के अनुसार, उच्च व्यक्तिगत दक्षता वाले विद्यार्थी शैक्षिक उपलब्धि, तनाव – नियंत्रण और सामाजिक अनुकूलन में बेहतर पाए जाते हैं। ग्रामीण–शहरी और सरकारी–निजी विद्यालयों की तुलना से पता चलता है कि शहरी और निजी विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास का स्तर अधिक

होता है। यह अंतर संसाधनों, शिक्षण–पद्धतियों और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। यह अध्ययन नीति–निर्माताओं, शिक्षकों और अभिभावकों को इस दिशा में जागरूक करने का प्रयास करता है।

Keywords : माध्यमिक स्तर, व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, आत्म–नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समायोजन, कौशल।

भूमिका और पृष्ठभूमि

शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का संतुलित विकास भी है। माध्यमिक स्तर वह अवस्था है जहाँ विद्यार्थी किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। इस समय वे आत्म–पहचान, सामाजिक संबंध, प्रतियोगिता और पारिवारिक अपेक्षाओं जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं।

व्यक्तित्व विकास और कौशल इस चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि विद्यार्थी में आत्मविश्वास, जीवन – कौशल और आत्म– क्षमता विकसित हो, तो वह शैक्षिक और सामाजिक जीवन दोनों में उत्तम प्रदर्शन कर सकता है। भारत में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से परीक्षा–केन्द्रित रही है, जिसके कारण व्यक्तिगत दक्षता के विकास की उपेक्षा होती रही। कई शोध बताते हैं कि उच्च दक्षता वाले विद्यार्थी बेहतर शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और सामाजिक संबंधों में सफल होते हैं। इसके विपरीत, कम दक्षता वाले विद्यार्थी अक्सर तनाव, आत्म–संशय और व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। (मिश्रा, 2015)1, (शर्मा, 2018)2

माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास तेजी से होता है, इसलिए उन्हें किशोरावस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्तित्व विकास और कौशल की आवश्यकता होती है। इन कौशलों की कमी तनाव, आत्म–संशय और सामाजिक संघर्ष को बढ़ाती है, जिससे शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। शोध बताते हैं कि व्यक्तिगत दक्षता शैक्षिक सफलता और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। NCERT (2022) 3 के अनुसार जीवन – कौशल आधारित शिक्षा सीखने की गुणवत्ता और जीवन – तैयारी को मजबूत करती है। ग्रामीण और सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की कमी और गतिविधियों के अभाव के कारण यह दक्षता कम पाई जाती है। यह अध्ययन विद्यार्थियों की स्थिति, ग्रामीण–शहरी अंतर और नीतिगत सुधारों की जरूरत को समझने का प्रयास है।

व्यक्तित्व विकास और कौशल का महत्व

व्यक्तित्व विकास और कौशल को ऐसी समग्र क्षमता माना जाता है जो आत्म– जागरूकता, आत्म–विश्वास, सामाजिक संबंधों, जीवन –कौशल और शैक्षिक सफलता को मजबूत करती है। यह केवल पुस्तक–ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने और समाज में उपयोगी भूमिका निभाने की योग्यता भी है। भारतीय परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य **"मनुष्य निर्माण"** रहा है। **गांधी** ने इसे सिर, दिल और हाथ का संतुलित विकास कहा, और विवेकानंद ने इसे **आत्मबल व आत्म–विश्वास का आधार बताया।** इसी दृष्टि से व्यक्तिगत दक्षता शिक्षा का व्यावहारिक और जीवनोन्मुख पक्ष बनती है। मिश्रा (2015) ने इसे आत्म– जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व से, शर्मा (2018) ने मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि से, तथा चौहान (2020) ने सामाजिक अनुकूलन और प्रतिस्पर्धा से जोड़ा। NCERT (2022) ने इसे "शैक्षिक उपलब्धि और जीवन– तैयारी के बीच का सेतु'' बताया। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत दक्षता आत्म–क्षमता, जीवन कौशल, सामाजिक दक्षता और शैक्षिक योग्यता का संयुक्त रूप है। अतः व्यक्तित्व विकास और कौशल वह योग्यता है जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को आत्म–विश्वास, संतुलित व्यवहार और सकारात्मक सामाजिक सहभागिता के साथ शैक्षिक कार्यों और जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने योग्य बनाती है।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी किशोरावस्था में प्रवेश

करते हैं, जो जीवन का संवेदनशील और निर्णायक चरण है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। व्यक्तिगत दक्षता (Personal Competence) विद्यार्थियों के इस विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह केवल शैक्षिक सफलता का साधन नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक अनुकूलन और दीर्घकालीन जीवन परिणामों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अनुसंधान समीक्षा –

माध्यमिक स्तर पर व्यक्तित्व विकास और कौशल पर हुए भारतीय शोध बताते हैं कि ये क्षमताएँ शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अनुकूलन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पिछले वर्षों में हुए अध्ययनों में पाया गया कि आत्म– क्षमता और जीवन – कौशल का स्तर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम, लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिश्रा (2015) और शर्मा (2018) दोनों ने इसे शैक्षिक सफलता का विश्वसनीय संकेतक माना। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह संबंध स्पष्ट है। चौहान (2020) ने पाया कि ग्रामीण और सरकारी विद्यालयों में सामाजिक दक्षता और जीवन – कौशल की कमी के कारण तनाव और व्यवहारगत समस्याएँ अधिक देखी जाती हैं, जबकि शहरी और निजी विद्यालयों में इन कौशलों का बेहतर स्तर विद्यार्थियों में आत्म–धारणा, तनाव–नियंत्रण और सामाजिक संपर्क को मजबूत करता है। अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि विद्यालय का प्रकार और स्थान इन कौशलों के विकास को प्रभावित करता है। संसाधनों, गतिविधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और वातावरण की वजह से शहरी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में व्यक्तिगत दक्षता ग्रामीण और सरकारी विद्यालयों की तुलना में अधिक पाई जाती है।

विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास और कौशल : ग्रामीण–शहरी तथा सरकारी–निजी विद्यालयों की तुलना

पक्ष / परिप्रेक्ष्य	ग्रामीण विद्यालय	शहरी विद्यालय	सरकारी विद्यालय	निजी विद्यालय
संसाधन (ICT, पुस्तकालय, प्रयोगशाला)	सीमित, असमान वितरण	अधिक सुलभ	सीमित, अनेक बाधाएँ	पर्याप्त व आधुनिक
शैक्षिक दक्षता	प्रायः औसत से कम, पर मेहनती	औसत से अधिक	अंकन स्तर कम, पर विविध	सामान्यतः उच्च
आत्म-क्षमता	कभी-कभी अधिक (समुदायिक जिम्मेदारी के कारण)	सामान्यतः अधिक, पर तनाव भी	मिश्रित	अधिक, विशेषकर अकादमिक कार्यों में
जीवन-कौशल व सामाजिक दक्षता	सहयोग व सामुदायिक भावना प्रबल	क्लब/वर्कशॉप से औपचारिक कौशल	सीमित अवसर, पर प्रभावी	बेहतर संचार व नेतृत्व कौशल
शिक्षक प्रशिक्षण	सीमित अवसर	अधिक अवसर	संसाधन की कमी	व्यवस्थित प्रशिक्षण
अभिभावक सहयोग	अपेक्षा अधिक, शैक्षिक सहयोग कम	शैक्षिक सहयोग व कोचिंग अधिक	समुदाय पर निर्भर	निवेश और अपेक्षाएँ अधिक

व्यक्तित्व विकास और कौशल के विकास में चुनौतियाँ और समस्याएँ –

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास और कौशल के विकास को कई आंतरिक और बाह्य कारक प्रभावित करते है। विशेष रूप से ग्रामीण और सरकारी विद्यालयों में यह समस्या अधिक दिखाई देती है। ग्रामीण और सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ खेल और पाठ्येत्तर गतिविधियों की कमी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और कौशल के विकास में बड़ी बाधा है।

निष्कर्ष–माध्यमिक स्तर पर व्यक्तित्व और कौशल का विकास केवल शैक्षिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता। यह मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक अनुकूलन और भविष्य के जीवन परिणामों को भी प्रभावित करता है। आत्म– क्षमता, जीवन–कौशल, सामाजिक दक्षता और शैक्षिक दक्षता जैसे घटक विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि संसाधनों, शिक्षण–पद्धतियों और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का व्यक्तिगत दक्षता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शहरी और निजी विद्यालयों में अवसर अधिक होने से परिणाम बेहतर मिलते हैं, जबकि ग्रामीण और सरकारी विद्यालय संसाधन की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। इस अंतर को कम करना शिक्षा नीति और समाज की साझा जिम्मेदारी है। शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तित्व और कौशल को मुख्य स्थान देने के लिए जीवन– कौशल कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएँ और समान संसाधन जरूरी हैं। जब तक शिक्षा केवल अंकों पर आधारित रहेगी, उसका उद्देश्य अधूरा रहेगा। व्यक्तिगत दक्षता ही शिक्षा को जीवन से जोड़ती है और विद्यार्थियों को सशक्त व आत्मनिर्भर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है।

- Neshat Zohra
Research Scholar
Department of Education
Mangalayatan University – Aligarh, UP. India

- Dr.Nitumaan
Assistant Professor
Dept. of Education & Research
Mangalayatan University – Aligarh, UP. India

संदर्भ :

1. मिश्रा, आर. (2015). व्यक्तिगत दक्षता और मानसिक स्वास्थ्य : माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर अध्ययन वाराणसी : काशी विद्यापीठ प्रकाशन।
2. शर्मा, एस. (2018). Adolescent Competence and Academic Achievement : An Indian Perspective- भारतीय मनोविज्ञान समीक्षा, 23(2), पृ. 45–581
3. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) (2022). School Education Quality and Life Skills - नई दिल्ली : NCERT
4. चौहान, के. (2020). ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों की सामाजिक दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 12 (1), पृ. 101–117।
5. गांधी, एम. के. (1921). हिंद स्वराज और शिक्षा दृष्टि. अहमदाबादरू नवजीवन प्रकाशन।
6. विवेकानंद, स्वामी. (2010). स्वामी विवेकानंद के शिक्षा विषयक विचार. कोलकातारू अद्वैत आश्रम प्रकाशन।
7. चौहान, वी. (2020). शैक्षिक मनोविज्ञान और किशोर विकास. नई दिल्लीरू अटलांटिक पब्लिशर्स।
8. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) (2022). School Education Quality and Life Skills- नई दिल्ली : NCERT

MGNREGA's Impact on Employment Generation for Scheduled Castes in Himachal Pradesh

- Gurmel Singh

Abstract

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), triggered by the 2011 census indicating 70% rural residency in India, aims to uplift rural populations, narrow urban-rural income gaps, and deter migration. With the Mahatma Gandhi National Rural

Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), progress has surged, notably among women. MGNREGS, initiated in 2005, shifted from supply to demand, offering 100 days of guaranteed employment annually. In Himachal Pradesh, it catalyzed rural development and employment, exemplifying its dedication to societal upliftment. Despite challenges, MGNREGS holds immense potential in poverty reduction and rural economic growth, necessitating reforms for efficient implementation and maximizing benefits.

Introduction

The 2011 census data underscores that almost 70 percent of Indians dwell in rural areas, prompting the Indian government to enact the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). This initiative aims to elevate rural populations, narrow income gaps between urban and rural areas, and mitigate rural-to-urban migration. With the inception of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), notable progress has been observed. Participation, especially among women, has surged, granting equal wages and enhanced autonomy. NREGA, initiated on September 7, 2005, has shifted from a supply-side to a demand- side policy, granting individuals the right to demand employment. Its core aim is to enhance livelihoods, security, and overall living standards in rural India, offering a minimum of 100 days of guaranteed employment annually to eligible adults. The scheme's initial phase began on February 2, 2006, with subsequent phases extending its reach. MGNREGA's impact in Himachal Pradesh, starting in Chamba and Sirmaur in 2006 and expanding to other districts, exemplifies its dedication to rural development and livelihood security, making it the largest public employment scheme in Indian history. On October 2, 2009, NREGA was renamed as MGNREGS, honoring Mahatma Gandhi and symbolizing its commitment to rural upliftment.

Literature Review

The MGNREGA program has emerged as a pivotal instrument in uplifting the socio-economic conditions of rural areas. It is crucial to enhance the training provided to MGNREGA employees and raise awareness about upcoming policies and initiatives (Bahauguna, Pandey, and Sudan, 2016). With a focus on approximately 200 underdeveloped areas, the program aims

to provide employment opportunities to the rural underprivileged, particularly Scheduled Castes (Kumar & Somasekhar, 2022). However, there is a noticeable bias against Scheduled Caste households, as they have limited access to employment days under MGNREGA (Manjula & Rajasekhar, 2015). Despite challenges, MGNREGA holds immense potential in poverty reduction by offering rural residents more employment options and income stability (Dutta et al., 2012). It has also led to a decrease in labor migration and an increase in sustainable livelihoods (Venkatesh, 2009). Furthermore, the program aids in strengthening rural economies and enhancing the bargaining power of rural workers (Ghosh, 2009). By providing 100 days of guaranteed employment, MGNREGA contributes significantly to alleviating the employment crisis in rural areas (Harsha, 2010). Moreover, MGNREGA has empowered vulnerable groups, including women, leading to improved living standards (Dheeraja & Rao, 2010). It plays a crucial role in poverty alleviation by pressuring rural wage rates to meet statutory minimum wages (Bhattacharyya et al., 2011). However, implementation issues persist, highlighting the need for concerted efforts at the national and state levels (Singh, 2022). In Himachal Pradesh, Scheduled Caste beneficiaries have been significant contributors to MGNREGA, indicating its impact on marginalized communities (Singh.D, 2023). Economic development should benefit all sections of society, underscoring the importance of evaluating MGNREGA's benefits for Scheduled Castes (Singh.D, 2023). This study aims to address these issues and analyze the participation of Scheduled Castes in MGNREGA employment generation in Himachal Pradesh.

Research questions

Primary Question : What is the relevance and role of MGNREGA in current scenario?

Secondary Questions :

(1) What is the significance of MGNERGA in uplifting the socio-economic condition of Scheduled Castes?

(2) What are the parameters of MGNERGA to regulate Scheduled Castes Employment generation in Rural Areas?

(3) What reforms are required to get the optimum results from MGNREGA?

Methodology

The study, primarily exploratory, relies solely on secondary data gathered

from various sources such as research papers, newspapers, online resources, and government reports including the Annual Economic Survey and Rural Development Department reports of HP. Spanning from 2014-15 to 2022-23, it examines variables like household work participation, MGNERGA employment duration, and job creation. Data analysis utilized MS Excel and statistical tools for percentage calculation. Tables were generated to facilitate thorough analysis, assessing the study's effectiveness.

Analysis and interpretation

The initial part emphasizes MGNERGA's significance and its impact on the economic status of Scheduled Castes in Himachal Pradesh. It discusses the scheme's role in societal upliftment, rural development, and employment generation. The second section delves into MGNERGA's shortcomings and proposes reformative measures to address them, encompassing job creation and scheme enhancement.

Importance of Schemes

MGNREGA, anchored in Article 41 of the Indian Constitution, grants citizens the right to work, ensuring job security nationwide. Unlike previous programs, it guarantees employment, focusing on durable asset development to catalyze growth in underdeveloped regions. The initiative prioritizes rural unemployed individuals, offering them security through job cards and timely payments within 15 days. With a cap of 100 days per job card, it promotes proletarian advancement, women empowerment, transparent governance, and decentralized planning. Utilizing IT for transparency and banking for wage disbursement, MGNREGA stands as a visionary economic driver, transcending mere welfare to foster holistic national prosperity.

Role in Social upliftment

In Himachal Pradesh, Scheduled Castes constitute a significant portion of the population (25.2% compared to 16.6% nationally). With ten districts surpassing the national average, Census 2011 highlights their socio- economic challenges. Scheduled Castes face higher rates of poverty, unemployment, and illiteracy, with disparate educational and employment outcomes. MGNREGA stands as the primary rural employment scheme, addressing seasonal fluctuations in agricultural labor demand. By providing 100 days of guaranteed employment during lean periods, the program benefits the unemployed rural populace, notably empowering women

within Scheduled Caste communities. MNREGA not only improves financial stability but also fosters confidence, enhancing the socio-economic status of Scheduled Castes in a relatively short span.

Role in rural development

MGNREGS encompasses diverse rural development projects such as rural connectivity and flood protection through embankment construction. Employees also engage in water conservation activities including tank and pond construction, check dams, and micro irrigation projects. The program extends irrigation services to marginalized communities and renovates traditional water structures. All work under MGNREGS is manual labor-based, aiming to generate employment and develop physical assets and infrastructure while prohibiting the use of machinery or contractors.

Employment through MGNERGA is a supplement source of the scheme

Since India's independence, various governments have introduced development plans, often including public employment as a means to alleviate rural poverty. Preceding the Mahatma Gandhi NREGA, significant programs such as JRY, EAS, FWP, JGSY, and SGRY were implemented. Despite numerous poverty alleviation schemes since the 1950s, certain social groups, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes, haven't fully bene-fitted due to flawed implemen-tation, corruption, and institutional issues. Addressing poverty comprehen-sively is crucial, with MGNREGA playing a vital role in uplifting rural communities. Recent changes in MGNREGA wages reflect adjustments aimed at ensuring fair compensation, with rates varying across states.

MGNREGA has Generation Employment

Scheduled Castes accounted for 26.36% of total employment statewide, contrasting with 73.63% for other groups. Kinnaur district had the highest SC employment rate at 35.84%. Following Kinnaur were Sirmour (34.60%), Una (34.11%), Solan (32.67%), Kullu (31.62%), Shimla (26.92%), Mandi (26.47%), Hamirpur (25.37%), Bilaspur (24.65%), and Kangra (22.27%). State-level data indicates MGNREGA provided jobs for 26.36% of SC households.

Share of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others in total

person days generated

The study reveals fluctuations in the percentage of person days generated by Scheduled Castes over the years in Himachal Pradesh. In 2021-22, it was 28.7%, dropping to 26.4% in 2022-23. Scheduled Tribes person days also fluctuated, ranging from 7.3% to 9.96% between 2014–15 and 2022-23. These variations highlight the changing dynamics of employment generation for marginalized communities in the state over time.

Shortcoming of the MGNERGA Scheme

The upper echelons of Scheduled society enjoy better socioeconomic status due to superior education, making them more aware of government welfare programs like MGNERGA. However, their representation within the Scheduled population remains low. Attention from government agencies is crucial for Scheduled Castes in rural areas, often relying on local teachers for program awareness. Women lack representation and knowledge of government initiatives, hindering effective utilization of funds allocated for their advancement under MGNERGA. Issues like delayed wage payments, lack of medical facilities, and low employment opportunities persist, demanding urgent attention.

Suggest reformative measures

In Himachal Pradesh, the socioeconomic status of the scheduled population is poor, lacking basic amenities like housing, education, water, and sanitation. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and low-income groups face financial challenges, reflecting on their living standards. Improving access to these essentials is crucial, and efficiently implementing MGNERGA projects is a priority for the state.

Discussion

Despite its imperfections, MGNREGS significantly impacted the socioeconomic status of beneficiaries in Himachal Pradesh, enhancing consumption, nutrition, income, and debt reduction. This initiative aims to alleviate rural poverty, provide employment for weaker groups like the scheduled population, empower women, and foster overall socioeconomic growth. Transparent administration, efficient operation, and technological integration are crucial for maximizing its benefits. Both national and state governments must address its shortcomings to optimize outcomes and transform it into a people-oriented Act.

- Gurmel Singh,
Assistant Professor
SDWG Govt. College Beetan Distt. Una,
Himachal Pradesh-176601, India

Gurmel Singh House No. MIG-304
Housing Board Colony Near
Mount Carmel School Rakkar Colony
Tehsil & Distt. Una
Himachal Pradesh Pin 174303 India
What's app NO. 9882063493

References:-

Bahauguna, R., Pandey, A., and Sudan V. (2016), "A Study on socio Economic impact of MGNREGA on Beneficiaries in Ruderprayag District of Uttrakhand" *International Journal of Management and Applied Science*, ISSN: 2394-7926, Vol 2.

Bhattacharyya, S., Gaiha, R., & Jha, R. (2011). *Social safety nets and nutrient deprivation: An analysis of the National Rural Employment Guarantee Programme and the Public Distribution System in India, ASARC Working Paper 2010-4.* Canberra: Australian South Asian ResearchCentre (ASARC).

Dheeraja, C., & Rao, H. (2010). Changing gender relations: A study of MGNREGS across different states. Hyderabad: National Institute of Rural Development (NIRD).

Dutta, P., Murgai, R., Ravallion, M., & Dominique, W. V. (2012). *Does India's Employment Guarantee Scheme Guarantee Employment? Policy Research Paper.* Washington DC: World Bank.

Ghosh, J. (2009). Equity and inclusion through public expenditure: The potential of the NREGS, Paper presented at International Conference on NREGA, New Delhi, 21–22 January 2009. New Delhi: International Conference on NREGA.

Manjula,R.&Rajasekhar,D. (2015),"Participation of Scheduled caste Households in MGNERGA:Evedence from Karnataka", The Institute for Social and Economic Change, Bangalore. Web: www.isec.ac.in.

Harsha, A. (2010). *National Rural Employment Guarantee Act Review.* RetrievedFebruary 19, 2010, from Policy Proposals for India: http://www.policyproposalsforindia.com/article.php?article_id=169&lan guageid=1

Kumar, R, C., & Somasekhar, K. (2022), "Role of the MGNREGS in Improving Socio-Economic Conditions of Scheduled Castes In Gunture District An Assessmient", International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT),Vol.10(10), pp 106-115.

Singh, B (2022)."An Analysis of Socio Economic Status of MGNREGS Beneficiaries and Non Beneficiaries in Punjab", Published Thesis university college of basic science & Humanities,Guru Kashi University Talwandi Sabo Punjab http://hdl.handle.net/10603/463992

Singh ,D.(2023)"An Analysis Of Participation Of Scheduled Caste, Schedule Tribe And Women In MGNREGA In Himachal Pradesh" ,International Journal of Recent Scientific Research Vol. 14, Issue, 08 (A), pp. 4036-4041, Available Online at http://www.recentscientific.com, DOI: https://10.24327/IJRSR

Statistical Abstract (2021-22), Department of Economics and Statistics, Government of Himachal Pradesh.

Venkatesh, A. (2009). *Economic crisis and rural livelihoods.* Chennai: M. S. Swaminathan Research Foundation.

बैंकिंग ऋण व्यवस्था : हिंदी की भूमिका

– **डॉ. मृगेंद्र राय,** प्रोफेसर
– **रामलाल साँगवा,** शोधार्थी

सार संक्षेप :

लौकिक जीवन में अर्थ की व्यवस्था सर्वोपरि है । व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की जरूरत होती है। इसके लिए वह विभिन्न व्यवसाय करता है। आवश्यकता और पूर्ति के इसी चक्र में ऋण की भूमिका दृष्टित होती है। जब व्यक्ति अपने द्वारा कमाए या संचित धन से अपनी जरूरतों का पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसे ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण अथवा कर्ज व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है। पुराने समय में बंधुआ मजदूरी प्रथा का चलन था वह भी इसी कर्ज प्रणाली का ही एक रूप था जब व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होता था तो उसे जमींदार/साहूकार के यहीं काम करना होता था और काम के एवज में मिलने वाले पैसे से उधार लिए धन की किश्त चुकौती होती थी। इस व्यवस्था में गरीबों का खूब शोषण होता था और अमीर – गरीब के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही थी।

ऋण, बचत इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के औपचारिक माध्यम के रूप में बैंकों का उद्भव हुआ । बैंकों का मुख्य कार्य लोगों के धन को जमा करना और जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करना है। बैंक विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं जैसे – मकान, रोजगार, वाहन, खेती, शिक्षा, उद्योग आदि के लिए ऋण प्रदान करता है परंतु आज भी बहुत से व्यक्ति ज्ञान अथवा जानकारी के अभाव में इस व्यवस्था से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं या ऋण प्राप्त करने के पश्चात उसकी समय से चुकौती करने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संपति इत्यादि कुर्क होने का खतरा रहता है और बैंकों की बैलेंस शीट भी खराब होने लगती है। इस शोध पत्र में हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और बैंकिंग ऋण व्यवस्था में हिंदी की भूमिका को रेखांकित करेंगे।

मुख्य शब्द :

1) बैंक : वह प्रतिष्ठान जो मुद्रा जमा प्राप्त करता है एवं उधार देता है, बैंक है। बैंक के अलावा भी ऐसे कई प्रतिष्ठान हैं जो मुद्रा में लेन–देन करते हैं किन्तु यदि वे जमा प्राप्त नहीं कर सकते तो बैंक नहीं हैं। अतः किसी वित्तीय प्रतिष्ठान के लिए बैंक होने का तात्पर्य है असीमित मात्रा में जमा प्राप्त करना।[1]

2) ऋण : ऋण का अर्थ है, किसी व्यक्ति या संस्था से उधार ली गई धनराशि। इसे कर्ज भी कहा जाता है। ऋण लेने के बाद, उसे ब्याज सहित एक निश्चित समय के अंदर वापस करना होता है. ऋण लेने से पहले, ऋणदाता और उधारकर्ता को ऋण की शर्तों पर सहमति देनी होती है।

3) मॉर्गेज (Mortgage) : As per section 58 of Transfer of Property Act 1882, mortgage is transfer of interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, or future debt or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability[2]

4) गिरवी (Pledge) : गिरवी (Pledge) एक निक्षेप है जो किसी ऋणी (गिरवीकर्ता) के स्वामित्व वाली संपत्ति का हक किसी ऋणदाता (गिरवीकर्ता) को कुछ ऋण या दायित्व के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने और दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ के लिए देता है।

5) एनपीए : A Non & performing Asset (NPA) is an advance where interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days.[4]

6) दिवाला और दिवालिया : जब कोई व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से घोषणा करती है कि वह अपने द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो इसे दिवाला (bankruptcy) कहते हैं तथा उस व्यक्ति/संस्था को दिवालिया (bankrupt) कहा जाता है।

7) हाइपोथीकेशन : हाइपोथेकेशन एक प्रकार का ऋण है, जिसमें ऋणदाता किसी भी संपत्ति के बदले में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, बिना स्वामित्व लिए। यदि किसी व्यक्ति ने कार ऋण लिया है और वह अपनी ईएमआई भुगतान में चूक करता है तो हाइपोथीकेशन (दृष्टिबंधक) बैंक को उसकी कार को जब्त करने और अपने कब्जे में लेने का अधिकार देता है। हाइपोथीकेशन यह भी सुनिश्चित करता है कि वह अपनी कार को तब तक किसी अन्य पार्टी को नहीं बेचे।[5]

8) ग्रहणाधिकार (Lien) : ग्रहणाधिकार या लियन किसी संपत्ति के एवज में दिए गए ऋण शोधन या किसी अन्य दायित्व के निर्वाह के बदले में भुगतान को सुरक्षित करने के लिए हित सुरक्षा की मंजूरी का एक प्रकार है। संपत्ति का मालिक, जो लियन या ग्रहणाधिकार प्रदान करता है, उसे लियनर (lienor) और जिस व्यक्ति को लियन का लाभ मिलता है उसे लियनी (lienee) कहा जाता है।[6]

प्रस्तावना : भाषा ईश्वर का मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। भाषा ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात कह सकता है और दूसरों के द्वारा कही बात को आसानी से समझ सकता है। यह बात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरपवाद रूप से लागू है और बैंकिंग क्षेत्र भी इसे अछूता नहीं है।

बैंकों का मुख्य कार्य लोगों का धन जमा रखना और जरूरतमंदों को ब्याज पर धन उपलब्ध कराना होता है। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यताओं जैसे – रोजगार, मकान, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वाहन आदि की पूर्ति के लिए बैंकों से ऋण लेता है और ब्याज सहित उसकी चुकौती करता है। जिससे बैंकों की आय होती है और वह नए लोगों को ऋण देने में समर्थ होती है। परंतु आज के समय में बैंकिंग व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट (गैर निष्पादित आस्तियां) बन चुका है। जब कोई व्यक्ति बैंक से लिया हुआ ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो उसका खाता एनपीए हो जाता है और बैंक उससे कर्ज की वसूली के लिए विभिन्न तौर तरीकों – उच्च ब्याज दर, संपति कुर्क, नीलामी इत्यादि उपाय अपनाता है। कई बार इससे व्यक्ति को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के धूमिल होने का डर भी होता है जिसके परिणामस्वरूप वह आपघात इत्यादि करने को मजबूर होता है। इस शोध पत्र में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हिंदी भाषा बैंकों की ज्वलंत समस्या के कुछ हद तक निराकरण में सहायक हो सकती है और आमजन इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं।

अध्ययन क्षेत्र : ऐसा कहा जाता है कि भारत गाँवों का देश है। हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी अब भी गाँवों में बसती है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि से जुड़े उद्योग हैं। ग्रामीण भारत की हम बात करें तो आज भी यहाँ अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है। गाँवों में अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा या संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हिंदी ही बोलते और समझते हैं और इन भाषाओं में संवाद करने को तरजीह देते हैं परंतु भारत में बैंकिंग ऋण व्यवस्था अभी भी अंग्रेजी की बैशाखी पर ही चल रही है। बैंकों में ऋण विज्ञापन से लेकर ऋण करार और उसके बाद विभिन्न वसूली कार्रवाई की पूर्ण प्रक्रिया अब भी अंग्रेजी में ही है जिसमें आज भी गरीब मजबूर व्यक्ति को बिना जाने समझे अंगूठे का ही सहारा लेना पड़ता है। यह व्यवस्था भी कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ते बैंकिंग एनपीए का मुख्य कारण भी है परंतु अन्य कारणों की ओट में बैंक इससे आज भी अनभिज्ञ हैं या अनभिज्ञ रहना चाहते हैं कारण कुछ भी हो सकता है।

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण के विभिन्न पक्षों को सही से जाने और यह तभी संभव होगा जब ऋण संबंधी सम्पूर्ण जानकारी उसकी अपनी भाषा या संपर्क भाषा – हिंदी में उपलब्ध होगी। गाँवों में आज भी बहुत से लोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण नहीं ले पाते हैं और वह साहूकारों के चंगुल में फँसकर अपना नुकसान करवा बैठते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बैंकों में प्रदर्शित प्रचार सामग्री का केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस दिशा में समय–समय पर विभिन्न

दिशा–निर्देश जारी होते हैं कि ग्राहक उपयोगी समस्त सामग्री द्विभाषी होने चाहिए परंतु बैंकों द्वारा आज भी इसका केवल कागजी अनुपालन दर्शाया जाता है। आज भी बैंक शाखाओं की दीवारें मकान ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण संबंधी विभिन्न पम्पलेट्स, तुकबंदी और स्टायलिश अंग्रेजी से लदी पड़ी हैं और आम ग्राहक के लिए वह केवल काला अक्षर भैंस बराबर ही है। जब तक व्यक्ति को बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों की जानकारी ही नहीं होगी तो वह इन ऋणों के लिए बैंकों के पास आएगा कैसे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर चिंतन की आवश्यकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यदि व्यक्ति ऋण के लिए बैंक आता भी है तो उसके लिए विकट समस्या यह है कि ऋण संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था का केवल अंग्रेजी में होना। यहाँ ग्राहक को केवल हफ्ते (किश्त) के विषय में बताया जाता या मोटे तौर पर ऋण से जुड़ी कुछ जानकारी जो उस समय मैनेजर साहब के ध्यान में आ जाए सिर्फ वह बता दी जाती है अर्थात यहाँ भी ग्राहक ऋण और ब्याज संबंधी विभिन्न जटिलताओं से पूरी तरह वाकीफ नहीं हो पाता है। ऋण स्वीकृति के समय मैनेजर साहब द्वारा ऋण दस्तावेजों के कुछ पन्नों पर कलम से टिक मार्क किया जाता है और ग्राहक द्वारा उन पन्नों पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है और ऋण देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ग्राहक द्वारा जिन ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया जाता है वे दस्तावेज अंग्रेजी में होते हैं तो ग्राहक ना तो उन्हें समझ पाता है और बिना समझे सवाल करने का तो प्रश्न भी नहीं उठता और ऊपर से उसे यह भय भी रहता है कि प्रश्न के चक्कर में कहीं ऋण स्वीकृति ही ना रुक जाए।

ज्ञानाभाव में लिए गए ऐसे ऋणों के एनपीए होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऋण के एनपीए होने पश्चात भी ऋण वसूली के लिए जो विभिन्न प्रकार की कोर्ट कचहरी संबंधी प्रणाली अपनाई जाती है उसमें भी अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अभाव के कारण ग्राहक अपने अधिकारों या अपेक्षित कार्रवाई से वंचित होता है।

बैंकिंग ऋण प्रणाली में हिंदी भाषा के प्रयोग के माध्यम से हम ऋण प्रक्रिया संबंधी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और वो ऋण खाते जो ज्ञानाभाव के कारण एनपीए हो जाते हैं उनसे बचा जा सकता है साथ ही विभिन्न ऋण प्रचार सामग्रियों के हिंदीकरण के माध्यम से हम नए जरूरतमन्द लोगों को ऋण प्रदान कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के अनुसार कृषि के लिए ऋण प्रवाह एवं बकाया राशि संबंधी निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन किया जा सकता है : "किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी के साथ–साथ निवेश ऋण प्रदान करने के लिए एकल खिड़की सुविधा है। मार्च 2024 के अंत में चालू केसीसी कार्डों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बकाया राशि में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।"[7]

Table IV.2: Kisan Credit Card (KCC) Scheme

(Number in lakh, Amount in ₹ crore)

Financial Year	Number of Operative KCCs #	Outstanding Crop Loan	Outstanding Term Loan	Outstanding Loan for Animal Husbandry and Fisheries	Total
1	2	3	4	5	6
2022-23	282.96	4,61,391	37,551	19,694	5,18,636
2023-24*	298.14	4,93,362	46,332	35,279	5,74,973

*: Data are provisional.
#: The number of operative KCC accounts does not include non-performing asset (NPA) accounts.

Source: Public sector banks, private sector banks and small finance banks (excluding RRBs).

इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :–

1) ऋण विपणन सामग्री में हिंदी का प्रयोग।

2) सरल हिंदी के साथ द्विभाषी ऋण दस्तावेजों का प्रयोग।

3) ऋण जानकारी संबंधी विभिन्न हिंदी ऑडियो/वीडियो संदेशों का प्रयोग।

4) ऋण वसूली संबंधी जानकारी में हिंदी का प्रयोग।

5) ऋण के एनपीए होने संबंधी विभिन्न कारणों का हिंदी ऑडियो/वीडियो संदेशों का प्रयोग

6) ग्राम चौपालों/नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।

बैंक परिचालन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के अनुसार इनके अतिरिक्त भी अन्य उपाय अपना सकता है। बैंक ऐसे सभी उपायों/जागरूकता संदेशों में हिन्दी के प्रयोग के माध्यम से उनका जनसामान्य में प्रसार कर सकता है। इससे ऋण उत्पादों का बेहतर ढंग से उपयोग होगा, जो अंततः राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेगा।

निष्कर्ष : ऋण सेवाओं का विस्तार, ऋण उत्पादों तक आम आदमी की पहुँच और बकाया ऋण की वसूली यह सभी बैंकिंग क्षेत्र की ध्रुव चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियाँ से पार पाने का सबसे अच्छा तरीका आमजन में जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना और उसके लिए संपर्क भाषा हिन्दी से अच्छा विकल्प भला क्या हो सकता है। बैंकिंग ऋण प्रणाली में आज भी ऐसे अनेक शब्द हैं जो आमजन के लिए मात्र एक पहेली बन कर रह गए हैं जैसे – Lien, Mortgage, Hypothecation आदि। सम्पूर्ण ऋण प्रक्रिया के दौरान ऐसे अनेक शब्दों से ऋणी को रु–ब–रु होना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि बैंकिंग ऋण प्रणाली पूर्णतः हिन्दी भाषा में हो तथा हिन्दी में प्रयुक्त शब्द सामान्यतः सामाजिक हिन्दी से मिलते–जुलते हों और उन शब्दों से आमजन का दिन–प्रतिदिन वास्ता हो। इस प्रकार उक्त सभी प्रयास सामूहिक रूप से बैंकिंग ऋण प्रणाली और बकाया ऋण वसूली व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कारगर साबित हो सकते हैं।

शोध निर्देशक – **डॉ. मृगेंद्र राय,** प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
गुरु नानक खालसा कॉलेज, माटुंगा (पूर्व), मुंबई
शोधार्थी – **रामलाल साँगवा,**
गुरु नानक खालसा कॉलेज, माटुंगा (पूर्व), मुंबई

संदर्भ :

1) अर्थशास्त्र शब्दकोश – डॉ. एस. एल. लोढ़ा, डॉ. महेंद्र लोढ़ा, 2007, दीपाली प्रकाशन, – 161 शास्त्री नगर, अजमेर (राजस्थान)

2) Banking Problems & Rationales] Arundeep Singh] N.S. TOOR, Jan 2004, Skylark Publications, 1/5, Bhagat Singh lane, Gole Market, New Delhi -1

3) https://www-wikipedia-org/

4) Banking Problems & Rationales, Arundeep Singh] N. S. TOOR, Jan 2004, Skylark Publications] 1/ 5] Bhagat Singh lane, Gole Market, New Delhi-1

5) https://www-wikipedia-org/

6) https://www-wikipedia-org/

7) भारतीय रिजर्व बैंक – वार्षिक रिपोर्ट – 2023–24

8) भारतीय रिजर्व बैंक – वार्षिक रिपोर्ट – 2023–24

LEGAL PROTECTION OF WAR VICTIMS IN INTERNATIONAL AND NON-INTERNATIONAL ARMED HOSTILITIES : AN ANALYSIS

- **Dipika Badhan,** Assistant Professor
- **Dr. Rupam Jagota,** Professor

War is a conflict carried on by force of arms, as between nations or between parties within a nation; warfare, as by land, sea, or air. In the common parlance, war is a struggle between political parties characterized by hostilities of a significant length and intensity. In situations involving international and domestic warfare, women, children, the injured, prisoners of war, shipwrecked individuals, and civilians in general are more frequently subjected to abuses of all types. In an attempt to improve victim protection during armed conflicts, certain steps have been taken. Under the customary international humanitarian law, such scenarios are not only injurious to humanity but run counter to the very intelligible existence of some international conventions and standards that govern armed conflicts of all kinds, especially as regards the protection of war victims during hostilities.[1] The 1949 Geneva Convention on Human Rights, the Two Additional Protocols of 1977, the 1950 European Convention on Human Rights, the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and the 1980 United Nations Declaration on War Victims are just a few of the significant ones.

Currently, there are 141 customary international humanitarian law principles that reinforce victims of armed conflict's legal protection, according to several recent studies. It is the result of more than eight years of research and consultation and has significantly influenced some provisions of international conventions on legal protection of war victims.[2] The difficulty lies in the identification of customary international law and this explains why states sought the assistance of the ICRC in this identification process.[3]

HISTORICAL EVOLUTION

Combatants have long sought to shield those who have been harmed by war. Across all lands, cultures, and faiths, such endeavors became realized throughout antiquity and the Middle Ages. Aiming to protect soldiers injured in combat, the first international convention was ratified. It came at the

initiative of HenryDunant, a young Swiss, who after the battle of Solferino, in 1859, witnessed firsthand the misery of forty thousand wounded and the inadequacy of the army health services.[4] In an effort to get the new convention approved in 1940, the International Committee of the Red Cross (ICRC) brought the proposal to the 15th International Red Cross Conference, which was held in Tokyo in 1934. Thus, throughout World War II, civilians were not provided with the necessary legal protection.The United Nations has inaugurate the International Criminal Court, as part of the protection providing for the prosecution of war criminals, and an end to impunity, in order to serve as a deterrent to those who would violate the rights of civilians, and others, in wartime.

GENEVA CONVENTIONS ON THE PROTECTION OF VICTIMS OF WAR

The treaties adopted include :

- The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forcesin the Field (Convention I)
- The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and ShipwreckedMembers of Armed Forces at Sea (Convention II)
- The Geneva Convention Related to the Treatment of Prisoners of War (Convention III)
- The Geneva Convention Related to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV)
- Protocol I Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
- Protocol II Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts.

The 1949 Geneva Conventions are a rare example of quasi-universal treaties; by the end of April 2004 some 191states were signatories to them. The states party to Protocols I and II number 161 and 156, respectively.[5]

PURPOSE AND GOALS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN PROTECTION OF WAR VICTIMS

➡ The purpose of IHL is to protect the victims of armed conflicts and regulate hostilities based on a balance between military necessity and humanity.

➡ IHL must be distinguished from legal frameworks that may apply in parallel but which have different objects and purposes, such as the UN Charter, the law of neutrality, human rights law and international criminal law.

➡ The belligerents must meet their humanitarian obligations in all circums-

tances, regardless of the enemy's conduct and of the nature or origin of the conflict.

➡ IHL is today one of the most densely codified and ratified branches of international law, its rules can also be derived from custom and general principles of law.

➡ Other political, social, economic and technological developments pose fresh challenges to the fundamental achievements and faithful implementation of IHL.[6]

ENHANCING LEGAL DEFENSE FOR ARMED CONFLICT VICTIMS: UNITED NATIONS RESOLUTIONS

The Council, in **Resolution 1296 (2000**), emphasized the importance for humanitarian organizations to uphold the principles of neutrality, impartiality and humanity in their humanitarian activities. The Council reaffirms its readiness to respond to situations where the deliberate targeting of civilians and the commission of flagrant violations of international humanitarian and human rights law insituations of armed conflict constitute a threat to international peace and security. This provision in **Resolution 1265 (1999**), initially resisted by the US during consultations, now seems widely accepted.

• The new text addresses in general terms the issue of safeguards for internally displaced persons (IDPs). There is no clear mention of the international community's duty to assist and support states to fulfill the irresponsi¯bilities with regard to IDPs. There remains some dispute as to whether IDPs are covered by international humanitarian law or whether that would infringe on the principle of non-interference in the domestic affairs of astate.[7]

CONCLUSION

For customary law to be practically applicable, it needs to be understood and used by everyone involved in international humanitarian law, not only scholars. The International Humanitarian Law lays down the minimum protection and standards applicable to situations where people are most vulnerable in armed conflicts. In order to apply international humanitarian law, national and international courts and tribunals, as well as military attorneys and government representatives, must be included. For the United Nations, regional organizations, and the global community at large, improved legal protections for war victims should be an imperative and a top priority. For the world organizations of the twenty-first century, whose policy framework is designed to practically minimize armed hostilities among nation states, protection of lives and property during international and non-international armed conflicts should be of the utmost importance.

Name : DIPIKA BADHAN
Designation : Assistant Professor
Institute: Department of Laws, G.N.D.U, R.C Gurdaspur
Add. : H.NO.44, Ekta Nagar Khanpuri Gate, Near Brahmin Sabha, Hoshiarpur-146001
Contact No. 9779635274

Co-author : Dr. Rupam Jagota
Designation: Professor
Institute: Department of Laws, G.N.D.U, R.C Jalandhar Contact no.: 8360039605

References :

1. *Pierre Boissier, "History of the International Committee of the Red Cross: From Solferino to Tsushima", Henry Dunant Institute, Geneva, (1985), pp.298.*
2. *Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Waldemar A. Solf, Martin Eaton, "New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on theTwo 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949",*The Hague:Martinus Nijhoff Publishers,(1982),pp.350-351.
3. Antonio Cassese,"*The Geneva Protocols of 1977 on the Humanitarian Law of Armed Conflict and Customary International Law",*UCLA Pacific Basin Law Journal,(1984), pp.55118.
4. André Durand,"*History of the International Committee of the Red Cross: From Sarajevo to Hiroshima",*Geneva: Henry Dunant Institute,(1984),pp.169
5. Leslie C. Green, "The Contemporary Law of Armed Conflict", 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, (2000), pp.21
6. Dr Nils Melzer, "International Humanitarian Law- A Comprehensive Introduction",ICRC, (August 2016), pp.16

दलित कहानी में जाति व्यवस्था

शोधार्थी–दीपक कुमार

शोध निर्देशक–डॉ. अनिल कुमार, सहायक प्रोफेसर

बीज शब्द : वर्ण, जाति, धर्म, जन्म, सामाजिक स्तरीकरण, छुआछूत, समानता उत्पीड़न, अस्पृश्यता।

भूमिका : भारतीय समाज आरंभ से ही वर्णों एवं जातियों में बांटा हुआ है। वर्ण का संबंध वर्ग से माना जाता है एवं जाति का संबंध जन्म से। इसके अतिरिक्त वर्ण–व्यवस्था का अन्य अर्थ है वर्ण के आधार पर व्यवसाय का चुनाव एवं जाति का संबंध है जन्म के आधार पर। दोनो ही व्यव्यवस्थाओं में बहुत अंतर है । वर्णों की संख्या चार है–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण–व्यस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उच्च समझा जाता था जबकि शूद्रों को को निम्न व सेवा करने के लिए बनाया गया था। जाति व्यवस्था मुख्य तौर पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है। जाति व्यवस्था में ऊँच–नीच की खाई है। भारत में जहाँ वर्णों की संख्या चार है वहीं जाति की संख्या हजारों से ज्यादा जातियां है। इसी प्रकार वर्ण एवं जाति दोनों ही समाज को बांटने के तरीके है। जाति जन्म के आधार पर एवं वर्ण कर्म के आधार पर समाज में अपनी अलग–अलग भूमिका निभाते हैं। पहले से लेकर अब तक समाज ने जाति एवं वर्ग के आधार पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि दोनो ही समाज को धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर कमजोर कर रही है। जाति एवं वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देना समाज के हित में नहीं है। लेकिन समय के साथ–साथ इस वर्ण–व्यवस्था ने जाति का रूप धारण कर लिया है। वर्ण–व्यवस्था के साथ यहां पर जाति व्यवस्था के अर्थ पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 'जाति' शब्द की व्युत्पत्ति 'जाति' शब्द संस्कृत भाषा के 'जन्म' धातु से बना हैं। जिसका संबंध हैं 'जन्म लेना।'[1] जाति व्यवस्था में लोगों को पदानुक्रम के तहत निश्चित सामाजिक समूहों में रखा जाता है जो अक्सर अनुष्ठान 'पवित्रता' और 'संदूषण' की भेदभावपूर्ण धारणाओं पर निर्भर करता है। भारतीय जाति व्यवस्था सबसे व्यापक रूप से उद्धृत और सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है। जातियों में वंशानुगत व्यवसाय होते हैं। यह व्यवस्था अंतर्विवाही भी है। विवाह और सामाजिक संबंध आम तौर पर एक कठोर क्रमबद्ध रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत होते हैं।[2] डॉ. बी. आर. अंबेडकर का मत है कि 'जाति का निर्माता' पुरोहित वर्ग है, जिसने अपने आप को सबसे पहले एक बंद वर्ग में बदला। उस बंद वर्ग में न बाहर से कोई भीतर आ सकता था और न भीतर से कोई बाहर जा सकता था। उनके अनुसार, अन्य वर्गों द्वारा उसका अनुसरण करने की प्रक्रिया ने जाति प्रथा को जन्म दिया।"[3] वे आगे लिखते है कि एक धर्म में एक जाति एवं एक वर्ण की बात करते है । वे समरसता, एकसरता, एकभाव, एक प्रकार के मनुष्य की बात करते हैं। गांधी चाहते है सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चार वर्ण बने रहे परंतु उपजातियां मिट जाए। उपजातियों के मिट जाने से जातिभेद भी समाप्त हो जाएगें। अंबेडकर के अनुसार इस बात की कोई गारंटी

नही है कि उपजातियों के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप जातियां निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी। बल्कि उपजातियों के समाप्त होने से जातियों की जड़े और मजबूत हो जाएगी।[4]

विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं में, जाति को एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जन्म पर आधारित होती है और जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति वंशानुगत होती है। वहीं डॉ. अंबेडकर का मानना है कि जाति–पांति, ऊंच–नीच, छुआछूत का समाज में आना ही जाति व्यवस्था की देन है । इस व्यवस्था में गुण की बजाय केवल जन्म के आधार पर पूजनीय व किसी को घृणित घोषित किया जाता है। जाति व्यवस्था अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था है।

दलित रचनाकारों का मानना है कि भारतीय गांव में व्याप्त वर्ण–व्यवस्था व जाति व्यवस्था से पिसते दलितों का चित्रण है । किस प्रकार गांव से लेकर महानगरों में बसे दलित समाज के आम आदमी से लेकर सरकारी व अर्ध–सरकारी नौकरियों से जीवन–यापन व निर्वाह करते सरकारी, अर्ध–सरकारी अधिकारी को जाति व्यवस्था का शिकार बनना पड़ता। जाति व्यवस्था के प्रश्न पर मोहनदास नैमिशराय का मानना है कि "अधिकांश शिक्षित सवर्ण भी अपने भीतर ऐसा विचार रखते हैं । वे दलितों को हेय दृष्टि से देखते है । बातें वे जरूर मीठी–मीठी बनाते है, लेकिन भीतर उनके मनु और शंकराचार्य बैठा है।[5] वही दलित चिंतक ओमप्रकाश वाल्मीकि 'भारतीय समाज–व्यवस्था और दलित समाज' में 'वर्ण–व्यवस्था' के प्रश्न पर कहते है कि "ये व्यवस्था आज भी नहीं बदली है। आज के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, साहित्यिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। ऊपरी और बाह्य तौर पर प्रगतिशील दिखने वाले उच्च शिक्षित व्यक्ति भी वर्ग की गिरफ्त में फंसे होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण और मनुष्य देखने में आते है, जब सार्वजनिक निर्णय भी जातीय वर्चस्व को ध्यान में रखकर लिए जाते है। यानि जाति जीवन को संचालित करने का महत्वपूर्ण घटक हैं। जिसे स्वीकार नहीं कर पाना एक विवशता ही कही जायेगी.... लेखक आगे लिखते है कि 'वर्ण–व्यवस्था' सामाजिक जीवन का कटु यथार्थ है। फिर भी यह राष्ट्रीय समस्या नहीं क्योंकि अपने को उच्च मानने वाले सिर्फ इसे दलितों की ही समस्या मानते हैं। और आज भी वर्ण व्यवस्था को विश्व की श्रेष्ठतम व्यवस्था मानने वालों की देश में कमी नहीं है। इसीलिए जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति कोई इतना गंभीर नहीं।[6]

समाज में भेदभाव, उत्पीड़न, अस्पृश्यता में सब जन्मजात ही निर्धारित हो जाती है। कौन व्यक्ति निम्न है और कौन व्यक्ति उच्च जाति का । हम ये भी कह सकते है कि वर्ण–व्यवस्था के अनुसार उनके कार्य जन्म से पहले सुनिश्चित हो जाते है । दलित वर्ग के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता ही हैं और अछूतपन का शिकार भी होना पड़ता है । दलित समाज जो मजदूरी के लिए घर से बाहर कदम रखता है उसे कई जगह अपमानित होना पड़ता हैं । जाति के कारण मजदूरी न मिलना जैसी घटनाएँ देखी जा सकती है। दलित महिलाओं को लोगों के घरों की सफाई कार्य से लेकर, ईट–भट्टे, सड़कों पर पुरुषों के साथ कार्य करते देख सकते है। लेकिन इन्हें जाति के कारण अपमानित किया जाता है। डॉ. जयप्रकाश कर्दम द्वारा रचित 'तलाश' कहानी की पात्र रामवती चूहड़ी जाति की है। रामबीर सिंह जो गुप्ता जी के घर किराये पर रहते। रामबीर, रामवती को घर की सफाई के लिए नियुक्त करता है। गुप्ता, रामबीर से कहता है कि 'आप नहीं जानते साहब, रामवती चूह्ड़ी है। एक चूड़ी से खाना बनावायेंगे आप? मांस–मछली पत्ता नही क्या–क्या खाती हैं। मुझे तो घिन सी आ रही है और वह रसोई में घुसकर सब चीजों को छूएगी।'[7]

डॉ. जयप्रकाश कर्दम द्वारा रचित कहानी 'नो बार' में वर्ण–जाति को दर्शाया गया है। समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापनों में लिखे जाने वाले जाति बंधन नहीं (नो बार) को किस प्रकार जाति का रूप दिया जाता है।

'बेटी एक बात बताओ।

क्या पापा ?

इस लड़के की कास्ट क्या है?

लड़की अपने पिता को बताती है कि यह लड़का महार जाति का है अर्थात दलित है तो पिता अपनी बेटी को समझाते हुए कहते है कि आखिर नो बार का यह मतलब नहीं कि किसी चमार –चूड़े के साथ....'[8]

विज्ञापनों में एक तरफ विवाह का विज्ञापन नो बार के नाम से आता है तो दूसरी तरफ सरकारी नौकर होने पर भी कास्ट जैसी समस्या सामने आ ही जाती है। क्योंकि हमारे समाज में जाति का प्रभाव ज्यादा हैं। जब तक जाति का पत्ता नहीं था तो शादी में कोई समस्या नहीं थी। जाति का पत्ता चलते ही शादी में रुकावटे शुरू हो गई।

यह कहानी न केवल दलित समुदाय के दर्द और अपमान को व्यक्त करती है, बल्कि सामाजिक असमानता, शोषण और मानवीय गरिमा के हनन के खिलाफ एक तीखा व्यंग्य भी प्रस्तुत करती है। कहानी में लेखक के द्वारा कमल उपाध्याय की उपस्थिति न केवल जाति व्यवस्था की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि व्यक्ति के रूप में, ग्रामीण समाज की जातिगत संरचना और भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है।

इसी प्रकार का वर्णन दलित लेखक 'सूरजपाल चौहान' ने 'साजिश' कहानी में किया है। किसी प्रकार पढ़े–लिखे दलित युवक को अपनत्त्व दिखाते हुए सवर्ण अधिकारी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर दलित युवकों को आर्थिक सम्पन्न व्यापार (काम, धंधा, पेशा) से गुमराह कर परंपरागत व्यवसाय

करने की सलाह देते हैं। 'देख नत्थु, तू पढ़ा–लिखा है। मैं तो केवल तुझे सलाह ही दे सकता हूँ। तू पिगरी लोन हेतु फार्म भर क्यों नहीं देता? इस काम में परिश्रम भी कम है और पैसा भी अधिक.....

साले आए चूहड़े चमार, पढ़–लिख कर व्यापार करेंगे। बैंक से उधार लेकर ट्रान्सपोर्ट का धन्धा करेंगे, व्यापारी बनेंगे, ट्रेड चेंज करेंगे.. ...भविष्य में ध्यान रखना कि कोई भी अछूत वर्ग का युवा अपना धन्धा शुरू करने के लिए बैंक से कर्जा लेने के लिए प्रार्थना पत्र भर कर दें उसे उसके पैतृक धन्धे में ही लगने के लिए प्रेरित करना है। उसे ऐसा विश्वास दिलाओ कि वह अपना पैतृक धन्धा छोड़ कर दूसरे धन्धों की कल्पना भी न करे।"[9] डॉ. नन्दलाल भारती द्वारा रचित कहानी 'अंडरटेकिंग' कहानी में जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है 'दबे–कुचलों को तनिक तरक्की की राह पर चलते, पांव पर जोर अजमाते, सम्भलते देख आज भी, मुर्दाखोर लोगों के हिया दमन की आग दहकने लगती है। सदियों से आंसू पिया जो, नब्जे आज भी उसकी कराहे जा रही हैं, कहां बराबरी का मौका, पग–पग पर कांटे पल–पल पर धोखा ही धोखा, भले आदमी चांद पर चढ़ गया है, मंगल पर बस्ती बसाने को उतावला हो रहा है, हाय रे जाति भेद का मोह, मानवीय समानता रास आती नहीं उसको, जातिवंश के नात पर ठोंक – ठोंक ताल थकता नहीं आज भी। ये मुर्दाखोरों ऊंच–नीच जाति भेद के नाम दर्द परोसने वालो, कमजोर मानकर दबे–कुचलों की, जिंदगी स्याह करने वालों, आंखों को आंसूं देने वालो मुर्दाक्षोरों खुदा से खौफ तो खाओं आदमी हो आदमी के, आदमी होने के सुख–चैन को न चुराओ।'[10]

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्ण–व्यवस्था ही समाज में ऊँच–नीच, छुआछूत को बढ़ावा दे रही हैं । जहाँ एक तरफ गांधी वर्ण–व्यवस्था का समर्थन करते नजर आ रहे है क्योंकि जिस वर्ण–व्यवस्था का समर्थन गांधी कर रहे है उसमे चार वर्णों की बात कही गयी है। जब वर्ण ही अलग–अलग वर्णों में बंटे हैं तो समानता नही आ सकती। डॉ. अंबेडकर समाज एक ही वर्ग की बात करते है क्योकि जब वर्ण एक ही होगा तो लोगों में भेदभाव अपने–आप ही समाप्त हो जायेगा। क्योकि यह सब मानव कृत है और मनुष्य ने अपने सुविधा के अनुरूप इसे तैयार कर कुछ ने इसे विधि विद्वान बनावा दिया। गांधी जी ने दलित वर्ग को हरिजन बताते हुए कहा कि धर्म मनुष्य और ईश्वर के बीच होना चाहिये । वहीं डॉ अंबेडकर ने धर्म मनुष्य और मनुष्य के बीच होने की वकालत करी । गांधी ने जाति व्यवस्था को सुधारने की बात करते है, जबकि अंबेडकर उसे पूर्ण रूप से खत्म करने की बात करते हैं।

शोधार्थी–दीपक कुमार
हिंदी विभाग,
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
मो. नं. 7876111989
शोध निर्देशक–डॉ. अनिल कुमार,
सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा

संदर्भ :

1. हिंदी साहित्य ज्ञान कोश वाणी प्रकाशन प्रथम संस्करण 2019, पृष्ठ संख्या 1391
2. डैनियल थॉमस मोलेनकैंप, जाति व्यवस्था : अर्थ, प्रभाव और समकालीन परिप्रेक्ष्य, 06 मार्च, 2025
3. हिंदी साहित्य ज्ञान कोश वाणी प्रकाशन प्रथम संस्करण 2019, पृष्ठ संख्या 1391
4. बाबा साहब डॉ. अंबेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–1, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 1998, पृष्ठ संख्या 90
5. डैनियल थॉमस मोलेनकैंप, जाति व्यवस्था : अर्थ, प्रभाव और समकालीन परिप्रेक्ष्य, 06 मार्च, 2025
6. साक्षान्त मस्के, परंपरागत वर्ण व्यवस्था एवं दलित साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ संख्या – 102
7. दलित साहित्य (वार्षिकी) पत्रिका, डॉ. जयप्रकाश कर्दम, 2012, पृष्ठ संख्या 13
8. डॉ. जयप्रकाश कर्दम, तलाश (कहानी) (डॉ. J. R. K. की कहानियों में दलित नारी), पी. रवींद्र नाथ, पत्रिका 2017, पृष्ठ संख्या 164
9. सूरजपाल चौहान, हैरी कब आएगा? कहानी संग्रह, पृष्ठ संख्या 38–48
10. डॉ. नन्दलाल भारती, 'अंडरटेकिंग कहानी, दलित साहित्य (वार्षिकी) 2014 पृष्ठ संख्या 316

''सामाजिक समता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है''

मानव मानव में भेद नहीं
कर्म धर्म महान है,
सामाजिक समता मनुष्य का
जन्म सिद्ध अधिकार है।

प्रतिबन्ध लगे हो जीने पर
समता का अधिकार नहीं,
उसका जीना भी क्या जीना
जिसको मानव अधिकार नहीं।

शोषण मुक्त समाज रचना हो
प्रतिबंध हमें स्वीकार नहीं,
मनुष्य विभेद को विवश करें
ऐसे बंधन स्वीकार नहीं।

अस्पर्श, दलित, शोषित, अकिंचन
स्वतंत्रता के यह अर्थ नहीं ,
व्यक्ति-व्यक्ति समृद्ध न हो
गणतंत्र का कोई अर्थ नहीं।

न्याय-स्वतंत्रता-समता-बंधुता
सबको समानता का अधिकार,
इससे कम में समझौता कैसा
स्वर्ग-मोक्ष से भी इंकार।

– सत्यनारायण जटिया
''सत्यज''

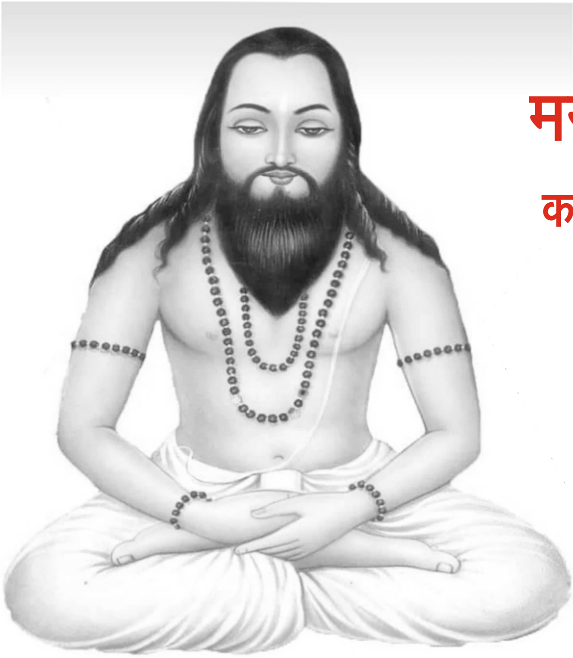

मनखे–मनखे एक समान

का संदेश देने वाले करुणा स्वरुप

गुरु घासीदास जी

की जयंती–पर्व की

हार्दिक शुभकामनाएँ

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक **पिंकी सत्यप्रेमी** ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार